राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 839/2012/बारां

1. रामगोपाल
2. कन्हैयालाल
3. बालमुकन्द पिसरान पुत्र श्री गोरधन जी जाति किराड़
   निवासी नियाना, तहसील बारां, जिला बारां .....प्रार्थी.

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक, बारां .....अप्रार्थी.

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री भवानी सिंह
अभिभाषकगण। .....प्रार्थीगण की ओर से.

श्री आर.के. अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29.10.2015

निर्णय

यह निगरानी राजस्व द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक), कोटा (जिसे आगे "कलक्टर" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) के अर्न्तगत प्रकरण संख्या 16/2011 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2012 के विरूद्व अधिनियम की धारा 65 के अर्न्तगत प्रस्तुत की गई है।

1. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि एक वसीयत नामा श्रीमती पाना बाई बैवा प्रभुलाल महाजन, निवासी हरसौली, तहसील मांगरोल, जिला बारां ने रामगोपाल, कन्हैयालाल, बालमुकन्द पिसरान पुत्र श्री गोरधन जाति किराड़ के पक्ष में निष्पादित किया। जो दिनांक 16.9.2000 को नोटेरी से प्रमाणित है। इस विषय में एक शिकायत होने के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां ने प्रकरण की जांच की और अपने निर्णय दिनांक 27.05.2006 में माना कि इस मामले में पंजीयन शुल्क की क्षति हुई है और दिनांक 31.08.2010 को आदेश पारित किया कि 2,11,570/– रूपये की वसूली हेतु प्रकरण उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, कोटा को भिजवावे। प्रकरण प्राप्त होने पर कलक्टर (मुद्रांक) दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगणों को तलब किया गया। प्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थिति हुये। लिखित जवाब भी प्रस्तुत किया गया।
2. कलक्टर (मुद्रांक), कोटा ने उपपंजीयक बारां के पत्र क्रमांक 69 दिनांक 03.03.2010 के अनुसार ग्राम नियाना की भूमि की दर 1,50,000/– रूपये प्रति बीघा बताते हुये

लगातार 2

मालियत 37,31,250/– निर्धारित की। इस पर मुद्रांक कर 1,86,570/– रूपये एवं पंजीयन शुल्क अधिकतम 25,000/–रूपये कुल 2,11,570/– रूपये वसूली योग्य मानकर, साथ ही पेनल्टी 3,430/– रूपये आरोपित की। इस प्रकार कुल 2,15,000/– रूपये वसूली के आदेश दिनांक 20.03.2012 को परित किये। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी।

3. राजस्व की ओर से श्री आर.के. अजमेरा उपराजकीय अभिभाषक एवं प्रार्थीगण की ओर से श्री भवानी सिंह उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गई एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी के अधिवक्ता ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णय को अपास्त करने का अनुरोध किया।

5. राजस्व के अधिवक्ता का कथन है कि दस्तावेज वसीयत नामा के अनुसार श्रीमती पाना बाई बैवा प्रभुलाल ने ग्राम नियाना, तहसील बारां के माल में खसरा नं 525 व 3.98 हेक्टर भूमि की वसीयत रामगोपाल, कन्हैयालाल, बालमुकुन्द पिसरान गोरधन, किराड़ के नाम वसीयत की है। वसीयत दीगर जाति एवं निकट रिश्तेदारों के मध्य निष्पादित नहीं है। अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा की गई, जांच व निर्णय दिनांक 27.05.2006 में स्पष्ट अंकित किया है कि भूमि पर पूर्व से ही रामगोपाल, कन्हैयालाल, बालमुकुन्द का कब्जा चला आ रहा है। अतः स्पष्ट है कि उक्त भूमि का कब्जा वसीयतकर्त्ता पाना बाई के जीवनकाल से रहा है। वसीयत में भी अंकित है कि वसीयत में अंकित सम्पत्ति के सभी परिलाभ उसके जीवनकाल में वसीयतकर्त्ता के पास ही रहते है तथा उसकी मृत्यु उपरान्त ही वसीयत में अंकित सम्पत्ति के परिलाभ वसीयतग्रहितागण को प्राप्त होगे, परन्तु इसमें वसीयतकर्त्ता का कब्जा वसीयताकर्त्ता के जीवनकाल से होना स्पष्ट है। इन परिस्थितियों के मध्य नजर स्पष्ट रूप से यह भूमि बेचान का मामला जाहिर होता है। साथ ही वसीयतकर्त्ता जाति से महाजन है एवं वसीयतग्रहिता जाति से किराड़ है, जो कि एक परिवार की वंशावली में नहीं आता है। वसीयत का कोई कारण एवं औचित्य भी नजर नहीं आने के काण यह प्रकरण विक्रय पत्र जाहिर होता है। इस प्रकार अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां की जांच व निर्णय के अनुसार जमीन पर वसीयत ग्रहिताओं का कब्जा पूर्व से ही प्रमाणित है। जिस पर बाजार दर से मुद्रांक कर देय है।

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रश्नगत सम्पत्ति के बेचान की आधारशिला मृत्तका पानाबाई एवं उसकी पांच पुत्रियों के मध्य तीन खसरों की कुल 11.49 हैक्टर भूमि के विभाजन के

लगातार 3

समय रखी जानी प्रकट है। छः सहहिस्सेदारों के मध्य कृषि भूमि का विभाजन यथासम्भव समान रूप से होना चाहिये था। जबकि स्वयं मृतका श्रीमती पानाबाई के हिस्से में एक खसरा नम्बर सम्पूर्ण एवं 3.98 हैक्टर विभाजन के आधार पर इन्द्राज किया गया, जो कुल भूमि का 35 प्रतिशत है। शेष पांच पुत्रियों के हिस्से में 1.50 हैक्टर (प्रत्येक) भूमि आयी। विभाजन भी राजस्व कानून की मंशा के विपरीत प्रतीत होता है।

7. सामान्य अवधारणा यह है कि वसीयन स्नेहवंश किसी एक निकटतम व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित की जाती है। प्रकरण में तीन सगे भाईयों (प्रार्थीगण) को वसीयत करना, वंशावली से पृथक जाति के व्यक्तियों को वसीयत करना, जिनका वसीयत से पूर्व से ही भूमि विवादित भूमि पर कब्जा काश्त होना, वसीयत पत्र की आड़ में विक्रय पत्र ही माना जायेगा। कलक्टर (मुद्रांक), कोटा द्वारा उसके समक्ष उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जो निर्णय दिनांक 20.3.2012 को पारित किया है, विधिसम्मत है। इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। कलक्टर (मुद्रांक) को दस्तावेज की प्रकृति निर्धारित करने का अधिकार अधिनियम द्वारा प्रदत्त है।

सारतः निगरानी प्रार्थीगण अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य